भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिंक रोड नं0-3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rcctbhopal@gmail.com

(5)

क्रमांक 6-MPB 063/2010-BHO/ 1917, दि0- 12-10-2010,

प्रति

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषयः रतलाम जिले के अन्तर्गत वनमण्डल रतलाम में 6 मेगावाट विण्ड फार्म परियोजना हेतु 4.24 हे0 वनभूमि सुजलान एनर्जी लिमिटेड इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीबी 063/2010-बीएचओ/1668 दिनांक 27/08/2010
2 अपर प्रधान मु0व0स0(भू-प्रबन्ध)एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ-4/16/13/2010/10-11/विद्युत/3429 दिनांक 8/10/10

महोदय,

कृपया आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्र क्रमांक एफ-4/16/13/2010/10-11/विद्युत/2906 दिनांक 12-08-2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से रतलाम में 6 मेगावाट विण्ड फार्म परियोजना हेतु 4.24 हे0 वनभूमि सुजलान एनर्जी लिमिटेड इन्दौर को गैरवानिकी उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:-

1 वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सर्वे नं0 1/1, ग्राम वन समिति-विनायगा, वनपरिक्षेत्र-आगर, तहसील-बड़ोद, जिला-शाजापुर में 4.25 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

....2

3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को कम्पा (CAMPA) के कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस I, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1580 मे हस्तांतरित की जायेगी ।

4. [illegible]

5. (i) The Vane tips of the wind turbine shall be painted with orange colour to avoid bird hits

(ii) The lease period shall be for a period of 30 years. The forest land will first be leased in favour of the developers and within a period of 4 years of Stage-II approval, the lease shall be transferred in the name of investors/power producers. In case the developers fail to develop wind farms, the land shall be reverted back to Forest Depratment without any compensation.

(iii) A lease rent of Rs. 30,000/- per MW for the period of lease in addition to compensatory afforestation, Net Present Value etc. shall be charged from the user ageney. This amount shall be utilized in providing gas connections to the local villagers under the Joint Forest Management Programme and for other conservation measures. This amount shall be despoited with Compensatory Afforestation Management and Planning Agency (CAMPA).

(iv) Around 65% to 70% lease out areas in the wind farms shall be utilized for developing medicinal plant gardens, wherever feasible, by the Forest Department at the cost of the user agency. The State/UT Governments could also take help of National Medicinal Plant Board in properly creating corridors of medicinal plant gardens. The intervening areas between two wind mills footprints should also be planted up by dwaf species of trees at the project cost.

(v) Soil & Moisture conservation measures like contour trenching shall be taken up on the hillocks supporting the wind mill.

(vi) The alignment of roads shall be done by a recognized firm and got approved by the Divisional Forest Officer concerned. Further, the transmission lines from the wind farms to the grid as far as possible should also be aligned collaterally along the roads.

(vii) The wind turbines/wind mills to be used on forest land under this project shall be approved for use in the country by the Ministry of Non-Conventional Engergy Sources, Govt. of India.

6. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

8. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति मे राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

........2